

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 607 / 13

संस्थापन दिनांक:-23 / 12 / 13

फाईलिंग नं. 233504000692013

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

पूरनलाल उर्फ वक्कू पिता श्यामलाल  
 उम्र 35 वर्ष, निवासी कुम्हारी मोहल्ला आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 06.11.2017 को घोषित)**

1 अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(1)(ए) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 05.11.2013 को समय शाम करीब 06:00 बजे थाना आमला जिला बैतूल में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 10 लीटर हाथ भट्टी की शराब अपने ज्ञान युक्त आधिपत्य में रखा।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.11.2013 को थाना प्रभारी विक्रम रजक को मुखबिर से सूचना मिली की पूरनलाल अपने घर में अवैध रूप से हाथ भट्टी की कच्ची महुंआ शराब बेच रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं साक्षीगण के मौके पर पहुंचा और अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर महुंआ शराब हाथ भट्टी की गवाहों के समक्ष जप्त किया। अभियुक्त का कृत्य धारा 34-ए आबकारी अधिनियम के अधीन पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा थाने वापस आकर अपराध क्र. 428/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

4 **न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-**

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के 10 लीटर हाथ भट्टी की शराब अपने ज्ञान युक्त आधिपत्य में रखा ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**विचारणीय प्रश्नों का निराकरण**

5 संजू (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकरण के बारे में कोई जानकारी न होना प्रकट करते हुए जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

6 प्रकरण के एक अन्य साक्षी अशोक के अदम पता हो जाने के कारण साक्षी की साक्ष्य अंकित नहीं की जा चुकी है। विवेचक विक्रम रजक की साक्ष्य हेतु अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी अभियोजन विवेचक साक्षी विक्रम रजक को साक्ष्य हेतु उपस्थित रखने में असमर्थ होने के कारण साक्षी की साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है। प्रकरण में शराब परीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं होने से आबकारी उप निरीक्षक वृत्त आमला की साक्ष्य भी अंकित नहीं की जा सकी है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय अपने आधिपत्य में अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब रखी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(1)(ए) आबकारी अधिनियम का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

7 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.11.2013 को समय शाम करीब 06:00 बजे थाना आमला जिला बैतूल में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 10 लीटर हाथ भट्टी की शराब अपने ज्ञान युक्त आधिपत्य में रखा। अतः अभियुक्त पूरनलाल उर्फ वक्कू को धारा 34(1)(ए) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

8 प्रकरण में जप्तशुदा 10 लीटर हाथ भट्टी महुंआ शराब अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

9 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)